

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमाने जी, मुताबिक रफ. नं. 280/676 में झुली देवी पालि किसाना उर्फ रामकिशन के नाम की डबल स्ट्री ही गई। अतः नामा. सं. 232 फिनोक 03/03/22 के अनुसार झुली देवी पालि किसाना उर्फ रामकिशन हिस्सा 1/10 किमा जाना उचित होगा।

D. L. R. D. S. 1
पटवारी/पंच

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमाने जी,
मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट व खलजब दस्तावेज के दुरुस्ती किया जाका उचित होगा।

D. L. R. D. S. 1

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी तथा ILR भन्ना उल्हासित।

मि. अ.
विपिर प्रमोदि
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
546

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/308

दिनांक:-

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श. न. 232 तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 37 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	झुली देवी पालि किसाना हि. 1/10 झुली देवी पालि किसाना उर्फ रामकिशन हि. 1/10 शेख खदस्तर	280/676	1.20	झुली देवी पालि किसाना उर्फ रामकिशन	280/676	1.20

क्रमांक - 5344-45

दिनांक - 01/10/25.



ततिलिपि - 1. तहसीलदार नसीराबाद की पालिनी
2. आदेश पत्रावली

प्रमारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर